भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *212

(जिसका उत्तर सोमवार, 04 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।)

"हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों पर जीएसटी में कमी"

***212**. **डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र सरकार से भारतीय बाजार में खरीदारों के लिए पश्मीना शॉल और रेशमी कालीनों को अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों पर जीएसटी में कमी करने का अनुरोध किया है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया या लिए जाने का विचार है;
(घ) क्या सरकार द्वारा गरीब लोगों और किसानों के लाभ के लिए 25 किलोग्राम वजन तक के चावल और चोकर पर लगाए गए 5 प्रतिशत जीएसटी को समाप्त करने के लिए इसी प्रकार का उपाय किए जाने की संभावना है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) (ख) (ग) (घ) और (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों पर जीएसटी में कमी" के बारे में दिनांक 04 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ डॉ. गणपथी राजकुमार पी. द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 212 के उत्तर में उल्लिखित विवरण"

(क) एवं (ख): जीएसटी दरें जीएसटी परिषद जो राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र सरकार के सदस्यों से युक्त एक संवैधानिक संस्था है, की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती हैं। जीएसटी परिषद ने दिनांक 17 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी 45वीं बैठक में जीएसटी दर युक्तिकरण के संबंध में मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) गठित किया है। इस मंत्रियों के समूह (जीओएम) के विचारार्थ विषय में मौजूदा जीएसटी दर स्लैब संरचना की समीक्षा करना एवं दरों के युक्तिकरण संबंधी उपायों की सिफारिशें करना शामिल है।

(ग): भारत के संविधान के अनुच्छेद 279ए के तहत, जीएसटी परिषद यह सिफारिश करती है कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कौन-कौन सी जीएसटी दरें लागू की जाएं तथा केंद्र एवं राज्य सरकारें जीएसटी परिषद की इन सिफारिशों को लागू करती हैं।

(घ) एवं (ङ): जीएसटी दरें जीएसटी परिषद, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केंद्र सरकार के सदस्यों से युक्त एक संवैधानिक संस्था है, की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। जीएसटी परिषद ने दिनांक 17 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी 45वीं बैठक में जीएसटी दर युक्तिकरण के संबंध में मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) गठित किया है। इस मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) के विचारार्थ विषय में वर्तमान जीएसटी दर स्लैब संरचना की समीक्षा करना और युक्तिकरण संबंधी उपायों की सिफारिशें करना शामिल है।

*****